2659
11/12/12

संख्या 772/XXIV–2/2012–02(09)/2010

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 दिसम्बर, 2012

विषयः– **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल स्तर पर विद्यालयों के उच्चीकरण के पश्चात् पदों के सृजन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– रा0मा0शि0अ0/1747–49/उच्चीकरण/2011–12 दिनांक 18 अगस्त, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या–F.1-38/2011-Sch..1 दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुमोदित एवं शासनादेश संख्या–737 XXIV–2/2011 दिनांक 23 अगस्त, 2011 द्वारा उच्चीकृत (सूची संलग्न) 147 हाईस्कूलों में निम्नवत् तालिका में अंकित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनबैण्ड में शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि ये इससे पहले भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्रम	पदनाम	वेतनक्रम (रू0 में)	सृजित पदों की संख्या
1	प्रधानाध्यापक	15600–39100 ग्रेड पे 5400	147 (प्रति विद्यालय एक)
2	सहायक अध्यापक एल0टी0	9300–34600 ग्रेड पे 4600	735 (प्रति विद्यालय पांच)
3	प्रयोग शाला सहायक	आउट सोर्सिंग से	147 (प्रति विद्यालय एक)
4	पुस्तकालय सहायक/ कार्यालय सहायक	आउट सोर्सिंग से	147 (प्रति विद्यालय एक)
	योग		**1176 (प्रति विद्यालय आठ)**

2– उक्त उच्चीकृत 147 जूनियर हाईस्कूलों में पूर्व से सृजित समस्त पद शासनादेश निर्गत होने के तीन माह की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

3– विषयाकिंत विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को शासनादेश निर्गत होने के तीन माह के भीतर अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

4— उक्त तालिका के क्रमांक—01 से 02 तक सृजित होने वाले पदों पर पदधारकों को शासन द्वारा समय—समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

5— सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां सेवा नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6— इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय व्ययक के अनुदान संख्या—11, आयोजनागत के अधीन लेखाशीर्षक—2202 — सामान्य शिक्षा,— 02 — माध्यमिक शिक्षा—800—अन्य व्यय—01— केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें —09— राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75 प्रतिशत के0 स0), 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—**120(P)/XXXVII—3/2012—13** दिनांक 01 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

07/12/12

(आर0के0 सुधांशु)

प्रभारी सचिव।

संख्या— (1)/XXIV—2/2012/02(09)/2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव—मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6— निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10— समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
11— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक/प्रारम्भिक) द्वारा निदेशक, मा0 शिक्षा।
12— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
14— शिक्षा अनुभाग—3 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
15— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर0आर0 सिंह)

अनु सचिव